

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)  
**National Highways Authority of India**  
(Ministry of Road Transport and Highways)  
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075  
G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200  
फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514

3

भा.रा.रा.प्रा./सी.ओ./2014-15/PG/23/58318

दिनांक: 07.11.2014


सेवा में,  
मुख्य अभियंता (यो/ब), लो. नि. वि.  
निर्माण भवन, अरेरा हिल्स,  
भोपाल (म.प्र.)

विषय: भा.रा.रा.प्रा. के टोल बूथ पर अधिमान्य पत्रकारों को टोल शुल्क में छूट के संबंध में।  
संदर्भ:- 403/सा /010/ टोल टैक्स /2013/3142 भोपाल दिनांक 18.09.2014.

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें। तत्सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपयोग शुल्क में छूट केवल उस परियोजना में प्रयुक्त केन्द्रीय सरकार के फीस नियम 1997/2008 (संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार ही देय है। इस सम्बन्ध में टोल प्लाजा वार विस्तृत जानकारी भारतीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट ([www.nhai.org](http://www.nhai.org) > Toll Information System > Toll Plaza(s) at a Glance > Toll Plaza Name > view more information > exempted vehicles) से प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,

  
(के.वी.सिंह) 07/11/2014

महाप्रबन्धक (व्यावसायिक संचालन)

प्रीतिलिपि

क्षेत्रीय अधिकारी (महा प्रबन्धक), म.प्र. को उनके पत्र दिनांक 30.09.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।